(175)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-3901-III/14

सीताराम बारी तनय स्व0 श्री शिवनाथ बारी पेशा– मजदूरी, निवासी ग्राम इंटार, थाना व तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

राजकली सेन पति श्री रामलखन सेन उम्र– 43 वर्ष निवासी ग्राम इंटार, थाना व तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) ....गैरनिगरानानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह0 गुढ़ के सीमांकन प्र.क्र. 35/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 16.07.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0 संहिता 1959 ई0।

475 / 7.11.14

क्रमांक ...... आज ...... को प्राप्त

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1– यह कि आराजी नं. 355 रकवा 0.16 ए0 के भूमि के पूर्व भूमिस्वामी ग्राम इंटार तह0 गुढ़ के पूर्व इलाकेदार ठाकुर तेजभान सिंह थे जिन्होने अपने जीवनकाल में संवत् 1990 में अपनी उक्त जमीन अपने सेवक शिवनाथ बारी को 60रु0 में विक्रय कर कब्जा सौप दिया तब से शिवनाथ बारी उक्त भूमि पर मकान बनाकर आबाद थे। शेष खाली भूमि का उपयोग कोलिया के रूप में करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं।

क्रमांक 3629 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 13/11/14 को प्राप्त

2– यह कि शिवनाथ बारी जो निरक्षर व्यक्ति थे, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आराजी नं. 355 का नामांतरण अपने नाम शासकीय अभिलेखों में नहीं कराया जबकि हल्का पटवारी खसरे में कब्जे के कालम नं. 14 में शिवनाथ बारी का मकान निस्तार इन्द्राज लगातार करते चले आए तथा भूमिस्वामी के कालम में तेजभान का नाम व उनकी मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र क्रमशः कृष्ण बहादुर तथा कृष्ण प्रताप का नाम इन्द्राज होता चला आया। बाद में कृष्णप्रताप के पुत्र शेर बहादुर का नाम अभिलेख में इन्द्राज हुआ।

सीता राम बारी

(175)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 3901-तीन/14 जिला– रीवा

सीताराम बारी विरूद्ध श्रीमती राजकली सेन

(1)	(2)	(3)
13-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री हेमकुमार [illegible] अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक~~, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 35/A12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 16-7-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

सीताराम बारी